तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
26/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपपक्ष उप। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा०पत्र अन्सं 1 दि. 09/12/25 को पेश हो।	मुकेश
26/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। सीधी बहस प्रा०पत्र पेश की गई। आर्ग० अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खाते की आराजी ख०न० 214/1261 पर कोई कब्जा नहीं होने एवं ग्राम पंचायत की आबादी भूमि ख०न० 214/1270 पर जारी भूखंड पट्टा पर ही कब्जा होने का कथन किया गया। अतः प्रार्थीगण की आराजी ख०न० 214/1261 पर स्थगन जारी करे तो कोई आपत्ति नहीं है। बहस उभयपक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के खाते की आराजी ख०न० 214/1261 पर स्थगन जारी किये जाने पर उभयपक्ष सहमत है। अतः प्रार्थीगण का प्रा०पत्र 212 RT Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तादैसला मुकदमा इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण [illegible] किया जाता है कि [illegible] ग्राम [illegible]पुर की प्रार्थीगण की आराजी ख०न० [illegible]/1261 पर ना तो कब्जा करे और ना ही निर्माण करे। प्रकरण फैसला मुताबिक होकर नम्बर	हमारा कब्जा प्रार्थीगण की आराजी पर नहीं होकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूमि पट्टा पर मात्र है। प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 214/1261 पर स्थगन पर मुझे कोई आपत्ती नहीं है उदयराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	दे कम होकर मुलवाज के साथ संलग्न है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

08/12/23

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:38:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner